अंक ६४

नई दिल्ली, जून २०१५

[निजी प्रसार के लिए]

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई.

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

श्री जी. पी. जोशी

श्री जी. पी. जोशी. सेवानिवृत, निदेशक, बी.पी.आर. एण्ड डी. से साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति में पुलिस के दायित्वों एंव संबंधित मुद्दों के बारे में जीनत मलिक द्वारा लिए गए व्यक्तिगत साक्षात्कार के मुख्य अंश यहां प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

सर, 'पुलिस, माइनॉरिटिज़ एण्ड प्रसेप्शन मैनेजमेंट' नाम से २०१३ में अल्पसंख्यकों के प्रति पुलिस के रुझान का आकलन करने के लिए ३ डी.जी.पी. ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट के बारे में मैं आपके विचार जानना चाहती हूँ क्योंकि आपने इस पर कुछ समय पहले एक लेख भी लिखा था।

यह रिपोर्ट महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के डी.जी.पी. द्वारा तैयार की गई थी। डी.जी.पी. रिपोर्ट के बारे में मेरा विचार बहुत सीधा है कि यह एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट है जिसमें केवल पुलिस ही नहीं बल्कि दूसरी एजेंसियों जैसे एम.सी.डी. आदि की भूमिका के बारे में भी बात की गई है। लेकिन, मेरे विचार में इस रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी कमी है और वह यह कि इसमें उस पृष्टभूमि का आकलन नहीं किया गया है जिसमें पुलिस काम करती है अर्थात् राजनैतिक वातावरण। और, शायद ऐसा जान बूझ कर किया गया है। वे लोग समस्या को उसके उचित परिपेक्ष्य में आकलन करने में विफल हुए हैं और फिर वह सुझाव दे रहे हैं।

इस रिपोर्ट में जितने भी तर्क हैं या सुझाव दिये गये हैं वह राजनैतिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए नहीं दिये गये हैं, इसलिए समस्या का निदान शायद सम्भव नहीं। पुलिस शून्य में काम नहीं करती है वह प्रशासन का भाग है जब आप उसे काम नहीं करने देंगे तो पहले इस राजनैतिकीकरण से पुलिस को अलग रखने की आवश्यकता है।

पिछले कुछ समय में होने वाले साम्प्रदायिक दंगों – मुज़फ़्फ़रनगर और अटाली गांव, बल्लबगढ़ के बारे में आपके क्या विचार हैं?

कोई भी साम्प्रदायिक हिंसा किसी राजनैतिक वातावरण की चर्चा किये बगैर पूरा नहीं किया जा सकता है। मुज़फ़्फ़रनगर में जो हुआ उसके भी कई कारण थे जिसमें राजनैतिक कारण प्रमुख था। पुलिस के अलावा राजनेताओं का साम्प्रदायिक दंगों में बहुत बड़ा हाथ होता है। इंडिया टुडे ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें उन्होंने मुज़फ़्फ़रनगर दंगों के बाद पुलिसवालों का इंटरव्यू किया था और तब पुलिस ने स्पष्ट बतलाया था कि हमें निर्देश थे कि 'आप धीरे जाएं' 'कुछ लोगों पर (दंगाईयों में से) कार्यवाही न करें'। इसमें विशेषकर आज़म खाँ की बड़ी भूमिका थी। पहले तो उन्होंने एस.पी. और डी.एम. का हस्तांतरण करवाया था फिर ७ लोगों को जिन्हें पुलिस ने गिरफ़्तार किया था उन्हें छुड़वाया जिस पर दूसरे समुदाय के लोगों ने प्रश्न उठाया कि ये लोग जो दो जाट युवकों की हत्या के ज़िम्मेदार थे उन्हें क्यों छोड़ा गया, तब उन्होंने पंचायत किया था और फिर दंगा भड़का था। ऐसे ही कुछ कारण दूसरे दंगों में भी अवश्य होते हैं। इसी प्रकार अटाली गांव में भी पुलिस ने अगर पहले से पनप रहे तनाव को रोकने की समयबद्ध कार्यवाही की होती तो इसे रोका जा सकता था।

पुलिस, साम्प्रदायकि तनाव की स्थिति को दंगे में परिवर्तित होने से रोकने के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही क्यों नहीं कर पाती?

किसी भी साम्प्रदायिक दंगे के तीन चरण होते हैं। पहला, तैयारी की अवस्था–जब तनावग्रस्त समूह में ऐसी कोई तैयारी हो रही हो, जहां पुलिस निरोधात्मक कार्यवाही कर सकती है। दूसरा, जांच – दंगे के दौरान और उसके बाद–जब समूह एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। और, तीसरा, पुनर्वास – जो दंगे के बाद की स्थिति होती है जहां ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत होती है जिससे समुदाय में सौहार्द उत्पन्न किया जाए।

पुलिस ज़िला प्रशासन के अंतर्गत काम करती है। पुलिस अगर तैयारी की अवस्था में दोनों समुदाय के गुंडों और अन्य असामाजिक तत्वों का निरोधात्मक प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ़्तारी करे और इंटेजिलेंस का उपयोग करके ऐसी प्रत्येक गतिविधि पर नज़र रखे तो बड़ी घटना को रोका जा सकता है। लेकिन, दंगे होते आ रहे हैं क्योंकि पुलिस कानून के अनुसार अपनी भूमिका नहीं निभाती है।

आप १९५० से जितने दंगे हुए हैं उनका अध्ययन करें तो पाएंगे कि छोटी घटना थी जिसने बड़े दंगे का रूप ले लिया क्योंकि सरकार की ओर से इसे रोकने का प्रभावपूर्ण प्रयत्न नहीं किया गया।

साम्प्रदायिक तनाव को दंगो में परिवर्तित होने से रोकने के लिए तथा इसके बाद की रणनीति के बारे में आपके क्या विचार हैं?

साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति को विकृत होने से रोकने के लिए पुलिस को निरोधात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। दोनों समुदाय के आपराधिक इतिहास रखने वाले (गुंडों) लोगों की सूची बनाकर उन्हें निरोधात्मक प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिबंधित करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो गिरफ़्तार करना चाहिए। इंटेलिजेंस एकत्रित करने की व्यवस्था को मज़बूत करना चाहिए और सरकार द्वारा कथित आरोपियों के विरुद्ध केस वापस नहीं लिया जाना चाहिए।

आपके विचार में, साम्प्रदायिक रूप से तनावग्रस्त वातावरण में पुलिस का ऐसा ढीला–ढाला रवैया क्यों हो जाता है?

पुलिस की निष्पक्षता 'कानून के शासन की अवधारणा' में निहित है। लेकिन, जब पुलिस के राजनीतिकरण और राजनीति के अपराधिकरण के कारण तथा राजनैतिक लाभ के लिए सरकार ने पुलिस से कानून प्रवर्तन का अधिकार ही छीन लिया है तो पुलिस से आप निष्पक्ष रहने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। जब कानून का शासन ही समाप्त हो गया है तो पुलिस भी उस सिस्टम के अनुसार ही काम करेगी। वह अपने राजनैतिज्ञ बॉस द्वारा निर्देशित होती है चाहे वह मुख्य मंत्री हों या कोई और मंत्री। यहां, मैं पुलिस के व्यवहार को न्यायसंगत बतलाने के लिए तर्क नहीं दे रहा हूँ बल्कि उनके व्यवहार की व्याख्या कर रहा हूँ।

सर, वर्तमान परिस्थिति में भी यदि कोई अधिकारी साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील माहौल में कानून सम्मत रूप से काम करता हो जबकि, अधिकांश अधिकारी राजनेताओं द्वारा संचालित हो रहे हों तो आपके विचार में ऐसे अधिकारियों का प्रेरणाश्रोत क्या हो सकता है और कैसे इसे अन्य अधिकारियों तक बढ़ाया जाए?

ड्यूटी के प्रति कर्तव्यबद्धता और अन्तरात्मा के कारण ही कई अधिकारी इस जर्जर व्यवस्था में भी कानून के अनुसार काम करते हैं। हालांकि, उन्हें राजनैतिज्ञों द्वारा इसका दण्ड भी भुगतना पड़ता है। उनकी पदोन्नति नहीं होती या उनका ऐसे स्थान पर हस्तांतरण कर दिया जाता है जो पुलिस बल की दृष्टि में अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जैसे :– किसी प्रशिक्षण संस्थान में या अनुसंधान एजेंसी में या होम गार्ड के पद पर भेज देना आदि।

सामुदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में यदि आप देखेंगे तो सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है जो नर्म और सरकार की सुनने वाले होते हैं। स्वतंत्र और अच्छे अधिकारियों को किनारे हटा दिया जाता है, उन्हें ज़िलों में नियुक्ति नहीं दी जाती है। जबकि, यह नियुक्तियां केवल योग्यता के आधार पर होनी चाहिए।

हालांकि, इस हस्तांतरण को रोकने के लिए राज्य सुरक्षा आयोग के गठन की बात उच्चतम न्यायालय ने की थी लेकिन वह कई राज्यों में गठित हुई ही नहीं है और जहां है तो भी बेकार है।

लेकिन, अच्छे अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए यही है कि हमें अपने स्तर पर जितना हो सके व्यक्तिगत अधिकारियों पर मेहनत करते रहना होगा। अच्छे अधिकारियों को पहचानिये, उनके काम को बढ़ावा दीजीए ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले और हम यह आशा कर सकते हैं कि कुछ अधिकारी ऐसी राजनैतिक परिस्थिति को स्वयं पर हावी होने से बचा पाएंगे और अच्छी पुलिसिंग के अंश हमें कहीं न कहीं देखने को मिलते रहेंगे।

पुलिसिंग व्यवस्था का पतन ७० के दशक से शुरू हुआ है वर्ना हमारे समय में ऐसी स्थिति नहीं थी। जब इंदिरा गांधी ने सरकार के प्रति निष्ठा का आहवान किया, बजाय कानून के प्रति निष्ठा के, वहीं से पुलिस का राजनीतिकरण प्रारम्भ हुआ और यह आज भी जारी है।

बूझो और जीतो-४२

प्रिय पाठकों,

इस खण्ड के अंतर्गत, पिछले कुछ महीनों से इसे एक ख़ास विषय पर केन्द्रित करने का निर्णय लिया गया है ताकि पाठकों को विशिष्ट विषय की जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अनुसार इस बार हम 'साम्प्रदायिक तनाव के दौरान निरोधात्मक एंव आवश्यक प्रावधानों' में से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। आशा है, आपको प्रश्न पसंद आएंगे और आप अधिक से अधिक संख्या में इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगी/लेंगे।

किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं, ताकि पाठकों को प्रविष्टियाँ भेजने के लिए पर्याप्त समय मिले। २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रुपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है और इन विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित भी किये जाते हैं।

इस अंक के सवाल निम्नलिखित हैं :–

१. क्या साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति में आत्मरक्षा के लिए रखे गये लाईसेंसधारी बन्दूक को भी प्रशासन ज़ब्त कर सकता है? यदि 'हां' किस प्रावधान के अंतर्गत?

२. क्या किसी ऐसे व्यक्ति पर संदेह के आधार पर कोई कार्यवाही की जा सकती है जो एक सप्ताह से अपना और अपने मूल निवास स्थान का ग़लत नाम बता कर किरायेदार के रूप में रह रहा हो?

३. क्या पुलिस एक बहुत बडे समूह के केवल दो लोगों के पकड़े जाने पर कोई कानूनी कार्यवाही कर सकती है जो हथियारबंद होकर किसी मस्जिद पर हमला करने गये थे? यदि 'हां', तो किस प्रावधान के अंतर्गत?

४. तलवार लेकर दंगा करने के लिए आए दंगाईयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो सकती है और किस प्रावधान के अंतर्गत?

५. क्या धार्मिक स्थल पर एकत्रित लोगों के समक्ष दूसरे धर्म के लोगों को बुरा बतलाकर दोनों समुदाय के लोगों के बीच दुश्मनी और नफ़रत भड़काने की कोशिश करने वाले धर्म गुरू के विरुद्ध पुलिस कोई कार्यवाही कर सकती है?

बूझो और जीतो – ३९ का परिणाम :

१. किसी महिला पर तेज़ाब फेंकने की कोशिश करने पर आरोपी को द.प्र.सं. की धारा ३२६ख के अंतर्गत ५ - ७ वर्ष के कारावास का दण्ड हो सकता है।

२. पुलिस अधिकारी यदि किसी महिला के विरुद्ध होने वाले अपराधों की शिकायत दर्ज करने से मना करे तो महिला उस अधिकारी के विरुद्ध एक नया एफ.आई.आर. द.प्र.सं. की धारा १६६क के अंतर्गत दर्ज करा सकती है।

३. इस केस की सुनवाई, सत्र न्यायालय में होगी ऐसा द.प्र.सं. की धारा ३७० में बताया गया है। यह अज़मानती अपराध है इसलिए आरोपी को थाने से ज़मानत नहीं मिल सकती।

४. नहीं, भ.द.सं. की धारा ३७६ख के अनुसार इसकी शिकायत केवल पीड़िता ही कर सकती है।

५. भ.द.सं. की धारा ३७६घ के अनुसार, इन आरोपियों को कम से कम २० वर्षों – आजीवन कारावास तथा पीड़िता को जुर्माना चुकाने का दण्ड दिया जा सकता है।

विजेता :

इस बार हमें किसी भी प्रविष्टि में सभी प्रश्नों के उत्तर सही नहीं मिले हैं, इसलिए इस अंक में किसी को भी विजेता घोषित नहीं किया जा सका।

जीनत मलिक
प्रधान संपादक, *लोक पुलिस*
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव
(सी.एच.आर.आई.)
तीसरी मंज़िल, ५५ ए, सिद्धार्थ चैम्बर्स, कालू सराय, नई दिल्ली-१६
फोन: ९१ ११ ४३१२०८००, ४३१८०२२९
फैक्स: ९१ ११ २६८६४६८८
ई-मेल: zeenatmalick@gmail.com
वेबसाईट: http://www.humanrightsinitiative.org

दंगों को रोकने के युक्ति-साम्प्रदायिक सौहार्द स्कीम

पिछले कुछ समय से देश के कुछ भागों में लगातार सामप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। हालांकि, भारत में सामप्रदायिक दंगों का इतिहास रहा है। इसी कारण, पुलिस अधिनियम से लेकर दण्ड प्रक्रिया संहिता तक सभी कानूनों में दंगों को रोकने के लिए साम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखने का प्रावधान रहा है। हालांकि, पुलिस इन प्रावधानों के अंतर्गत समुदायों को एकजुट करने में बहुत हद तक असफल रही है जिस कारण दंगे होते आ रहे हैं। दंगों की श्रृंखला में नवीनतम दंगा हरियाणा के बल्लबगढ जिले के अटाली गांव में २५ मई को देखा गया। जहां एक बहुत पुराने स्थान पर मस्जिद बनाई जा रही थी जिसके लिए मुस्लिम समुदाय को अदालत का आदेश प्राप्त था। इसके बावजूद जाट समुदाय के लोगों को आपत्ति थी और उनका कहना था कि वे गांव में मस्जिद नहीं बनाने देंगे। जबकि, अगर मुस्लिम चाहें तो उसी स्थान पर जैसे वर्षों से चला आ रहा है बगैर संरचना के नमाज़ पढते रहे हैं। मस्जिद बनने की स्थिति में उन्होंने नमाज़ के वक्त हमला कर दिया और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को शारीरिक क्षति तो नहीं हुई लेकिन सम्पत्ति का बहुत नुकसान हुआ। गांव के मुसलमानों को थाने में शरण लेनी पड़ी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने समय पर दंगाईयों को रोकने की कार्यवाही नहीं की। अटाली जैसे कई दंगे शायद कभी घटित ही न हों यदि पुलिस दो अगल-अलग समुदायों में सौहार्द उत्पन्न करने और इसे बरकरार रखने की सकारात्मक कोशिश करे। इसके लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने दिशा-निर्देश भी जारी किया है, जिसे हम पाठकों की जानकारी के लिए एक साथ प्रस्तुत कर रहे हैं।

साम्प्रदायिक सद्भावना पर दिशा-निर्देश

१. परिचय

१.१. साम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखने, और साम्प्रदायिक उपद्रव/दंगों को रोकने/टालने, और ऐसे किसी उपद्रव के होने की स्थिति में, उसे नियंत्रित करने का काम और प्रभावित लोगों को सुरक्षा और सहायता पहुंचाने की मुख्य ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की है।

२. निवारक उपाय

२.१. किसी दंगे का सामना करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है उसे रोकना। इस संदर्भ में जिला प्रशासन को लगातार अपने ज़िले की साम्प्रदायिक स्थिति को सावधानीपूर्वक आंकना चाहिए और ज़िले का एक प्रोफाईल तैयार करना चाहिए। उन्हें ऐसे क्षेत्रों को पहचान कर चिन्हित करना चाहिए जहां साम्प्रदायिक संवेदनशीलता और तनाव की प्रवृत्ति हो, खासतौर पर निम्न से संबंधित-(क)जनांकिक प्रोफाईल (ख) किसी स्मारक या निर्माण के कारण सम्भावित विवाद/बहस हो, (ग) ज़मीन या किसी या कोई और मुद्दा जिस कारण से साम्प्रदायिक विवाद/तनाव उत्पन्न सम्भावित हो, (घ) किसी जुलूस का रास्ता जिसके कारण पहले कभी झगड़ा या तनाव उत्पन्न हुआ था या जिस कारण भविष्य में ऐसा होना सम्भावित हो, (ङ) पिछले लड़ाई-झगड़ों का इतिहास और, (च) धर्म परिवर्तन और पुनः परिवर्तन, आदि के आधार पर तथा किसी और संबद्ध पहलुओं के आधार पर किसी विशिष्ट क्षेत्र को संवेदनशील या अति संवेदनशील निर्धारित करना चाहिए और इसकी अवस्था की हर आवधिक अंतराल पर समीक्षा करके उसकी वर्तमान जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए।

२.२. उपरोक्त की व्याख्या सभी सम्बन्धित थानों में भी सुनियोजित तरीके से रखी जानी चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में आवधिक रूप से वीक्षण करने तथा जनता-पुलिस के बीच सम्बन्ध बढ़ाने, सामुदायिक नेताओं से मिलने के अलावा थाना स्तर पर, थाना प्रभारी तथा दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसे क्षेत्रों की स्थिति पर नज़दीक से नज़र रखनी चाहिए।

२.३. साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को दंगा सम्भावित क्षेत्र निर्धारित कर देना चाहिए ताकि आवश्यक प्रशासनिक प्रबन्ध किया जा सके। सभी संवेदनशील/कठिन क्षेत्रों में पुलिस पोस्ट/थाने की स्थापना की जानी चाहिए। इन क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आवश्यकताओं को वास्तिवक रूप में आंका जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी रिक्तपदों पर नियुक्ति की जाए। यहां उचित पुलिसकर्मी, वाहन, हथियार, वीडियोग्राफी के उपकरण, संचार लिंक उपलब्ध कराया जाए और आवधिक रूप से इसकी समीक्षा भी की जाए।

२.४. उपरोक्त उल्लेखित संवेदनशील/असंवेदनशील क्षेत्रों के अनुसार, जिला प्रशासन को कुछ परिस्थितियों और अवसरों पर होने वाले सम्भावित गतिविधियों के बारे में पूर्वानुमान करके स्टैंर्डड ऑपरेटिंग सिस्टम (एस.ओ.पी.) और आकास्मिक योजना तैयार करनी चाहिए ताकि बिगड़े हालात/दंगों आदि को रोका जा सके।

२.५. सुराग और जानकारी एकत्रित करने की यंत्रावली और उसे जवाब यंत्रावली से ठीक से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। गुप्त सूचनाओं की प्रतिपुष्टि ख़ासकर अगर वह ज़मीनी स्तर से मिले तब प्रशासन द्वारा उसका प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। जिला प्रशासन को चाहिए कि वह बाहरी इंटेलिजेंस के श्रोत को विकसित करे क्योंकि वे अधिक विश्वसनीय होंगे। ऐसा, समुदाय के अंदर संपर्क बनाकर, पारंपरिक बीट कांस्टेबल व्यवस्था को सक्रिय करके, मुखबिरों को संवेदनशील/अति संवेदनशील क्षेत्रों में/थानों पर नियुक्त करके। ऐसे लोगों को ठीक से प्रशिक्षण तथा हिदायत दी जानी चाहिए और अगर आवश्यक हो तब, उचित पारिश्रमिक दिया जा सकता है।

२.६. संवेदनशील/अति संवेदनशील थानों द्वारा सब डिवीजन स्तर/जिला स्तर पर, एक साप्ताहिक/पाक्षिक इंटेलिजेंस/स्थिति रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए और डी.एम. तथा एस.पी. स्तर पर स्थिति की मासिक समीक्षा होनी चाहिए।

इस समीक्षा के दौरान ऊपर उल्लेखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन को खासतौर से देखा जाना चाहिए। इसके अलावा, ऐसा थानों और सब डिविजनल कार्यालय में विज़िट के दौरान भी किया जाना चाहिए।

२.७. जिला तथा दूसरे स्तरों पर वरिष्ट पुलिस एंव प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि वे आम दिनों में भी साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में विजिट करें और वहां के ज़िम्मेदार सामुदायिक नेताओं से सौहार्द स्थापित करने के लिए वार्तालाप करें।

२.८. ऐसे अंगीकार उद्देश्यों वाले संगठन की गतिविधियों पर लगातार पैनी नज़र रखनी चाहिए और इनकी गतिविधियों का रिकॉर्ड भी संभालकर रखा जाना चाहिए, जो साम्प्रदायिक सद्भावना को कमजोर कर सकते हों। अगर किसी भी संगठन द्वारा गैर कानूनी गतिविधि (प्रतिरोध) अधिनियम, १९६७ के अंतर्गत संलग्न पाया जाए, तब इस कानून के अंतर्गत ऐसे एसोसिएशन को अवैधानिक घोषित करना तथा परिणामस्वरूप दूसरे आवश्यक कदम उठाने चाहिए। आवधिक अंतराल पर जिला/थाना स्तर पर इन संगठनों की निगरानी की जानी चाहिए।

३. प्रशासनिक उपाय

३.१. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हर तीन महीने में कम से कम एक बार राज्य स्तरीय समाकलन समिति की मीटींग की जानी चाहिए। इस मीटींग में राज्य की साम्प्रदायिक परिस्थिति की समीक्षा होनी चाहिए।

३.२. राज्य सरकार के स्तर पर एक नोडल सेल की स्थापना की जानी चाहिए जो साम्प्रदायिक बातों और इससे सम्बन्धित जानकारियों के लिए निकासी गृह के तौर पर काम करे। यह विभिन्न साम्प्रदायिक घटनाओं का और उसमें होने वाले नुकसान का, रजिस्टर्ड केसों तथा उनकी प्रगति का डाटाबेस रख सकता है। यह राज्य में साम्प्रदायिक उपद्रव के तरीके का अध्ययन भी कर सकता है। इसे रोकने के उचित उपाय तैयार किया जा सकें। इसके अलावा, यह दूसरे विभागों/एजेंसियों के साथ मुआवज़ा, राहत और पुनः प्रतिष्ठा के लिए सामंजस्य स्थापित कर सकती है।

३.३. राज्य और ज़िला स्तर पर, संकट प्रबंधन योजना होनी चाहिए जिसे साफ तौर से संकट के सम्भाविक कारणों और प्रतिशाखाओं का चित्रण करे जो इस साम्प्रदायिक उपद्रवों के कारण पैदा हो सकते हों, संकट के समय पर विभिन्न विभागों/एजेंसियों की भूमिका को पहचानना, जिन संसाधनों को लगाने की आवश्यकता हो उसे पहचानना और ऐसी परिस्थितियों से निकलने की प्रक्रियाओं को तय करना।

३.४. जमीनी स्तर पर, पुलिस और स्थानीय इंटेलिजेंस एजेंसी/संस्थानों को अच्छी तरह उन तत्त्वों के बारे में पता होता है जिनका साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई न कोई रिकॉर्ड होता है। ऐसे तत्वों की एक सूची पहले से ही हर थाने में तैयार होनी चाहिए। त्यौहारों के मौसम में या किसी और मौसम में जब साम्प्रदायिक तनाव और सम्भावित साम्प्रदायिक प्रकृति की घटनाओं के उत्पन्न होने का खतरा हो, तो ऐसे तत्वों को तुरंत समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाये जाने चहिए, जिसमें जहां आवश्यक हो वहां रोकने के लिए कार्यवाही होनी चाहिए।

३.५. साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील शहरों और इलाकों में, शांति समिति/कौमी एकता समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें सामुदायिक नेता, आदरनीय संगठन, प्रमुख नागरिक तथा राजनैतिक पार्टियों के सदस्य होने चाहिए, इन लोगों के साथ थाना, सब डिवीजन तथा ज़िला स्तर पर आवधिक सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए। प्रख्यात व्यक्ति, शांति समिति/राष्ट्रीय समाकलन समिति के सदस्य और क्षेत्र के स्वंयसेवी संगठनों के सदस्य साम्प्रदायिक सौहार्द कायम करने में तथा साम्प्रदायिक झगड़ों को रोकने में अगर उन क्षेत्रों में जहां उनका प्रभाव है वहां परिस्थितियों का निगरानी कर सकें तो, सार्थक योगदान कर सकते हैं। महिलाएं, जोकि साम्प्रदायिक तनाव/दंगो के दौरान बेहद वेदनीय समुह के रूप में दिखाई पड़ती हैं, वो साम्प्रदायिक दंगो को कम करने में मदद कर सकते हैं। उनका शांति समिति में उचित प्रतिनिधित्व दंगो की परिस्थिति को रोकने में मदद कर सकती है।

३.६. किसी घटना या तनाव के डर के दौरान दूसरे उपायों के साथ ही शांति समिति को तुरंत ही इस परिस्थिति को रोकने के लिए कार्यान्वित कर देना चाहिए।

३.७. विभिन्न सामुदायिक नेताओं के सामंजस्य से विभिन्न त्यौहारों के समय पालन किया जाने वाला आचार संहिता तैयार किया जाना चाहिए और इसका व्यापक रूप से प्रचार किया जाना चाहिए। शांति समिति के सदस्यों को जनता को इस संहिता के विषयवस्तु के बारे में शिक्षित करने के लिए भी शामिल करना चाहिए, ताकि त्योहारों को मैत्रीपूर्ण माहौल में बगैर किसी व्यक्ति या समुदाय को परेशानी पहुँचाए मनाया जाना सुनिश्चित किया जा सके। त्योहारों के शांतिपूर्ण तरीके से मनाये जाने के लिए मोहल्ला कमेंटी का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें सभी समुदाय के सदस्य हों।

३.८. लाउडस्पीकर का अनियंत्रित उपयोग अकसर विभिन्न प्रकार के समूहों में उग्र प्रतिक्रिया उत्पन्न करने का कारण रहा है। लाउडस्पीकर के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कानूनों के अंतर्गत अलग-अलग कानूनी प्रावधानों की सहायता लेने के अलावा, लाउडस्पीकर के उपयोग की आज्ञा देते समय निश्चित शर्तों का पालन किया जाए। रात के ११ बजे से सुबह के ६ बजे के मध्य लाउडस्पीकर के उपयोग की आज्ञा देते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। *ध्वनि प्रदूषण (व्यवस्थापन व नियंत्रण) नियम, २००० जिसे कि वातावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ के* अंतर्गत बनाया गया है और जो लाउडस्पीकर और एम्पलीफायर के उपयोग को सभी स्थानों पर नियंत्रित करता है और इसमें पूजा स्थल भी शामिल हैं, का व्यापक रूप से प्रचार किया जाना चाहिए।

३.९. कई प्रकार के धार्मिक जुलूस अकसर साम्प्रदायिक मुठभेड़ और झड़प का कारण बने हैं। अकसर, कई संगठन भी धार्मिक अवसरों पर अपनी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में जुलूस निकालते हैं, जोकि स्वंय ही उकसाने का कारण बन सकते हैं। ऐसे जुलूसों के आयोजकों को चाहिए कि वे एक संतोषजनक जमानत दे कि अगर जुलूस संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरेगा तो स्वीकृत रास्ते का ही उपयोग करेंगे। ऐसे सभी केसों में जहां ऐसे जुलूसों से संवेदनशीलता जुड़ी हुई है, सावधानीपूर्वक सुरक्षा का प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि किसी भी अशुभ घटना को रोका जा सके और इसके लिए एक खास अधिकारी को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। यह सब, समुदाय के निर्धारित आदरणीय सदस्यों को शांतिपूर्ण जुलूस की ज़िम्मेदारी देने के अलावा किया जाना चाहिए।

३.१०. ऐसे धार्मिक जुलूसों की कार्यवाही और गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो/ऑडियो कवरेज और कैमरों का उपयोग किया जाना चाहिए, खासतौर पर जहां मार्ग संवेदनशील हो, या जहां किसी अप्रिय घटना के होने का थोड़ा भी अन्दाजा हो। इन रिकॉर्डिंग्स को बाद में पहचान और दोषियों के अभियोजन के रूप में उपयोग किया जा सकता है तथा इसका एक निवारक के तौर पर भी उपयोग किया जा सकता है।

३.११. बन्दूक, तेज़ हथियार, सोटा, डंडा या नाशक पदार्थ और विस्फोटक को ले जाना नियंत्रण करने के लिए उचित उपाय किया जाना चाहिए। इन उपायों में जहां आवश्यक हो वहां, इन्हें पुलिस के पास जमा किया जाना भी शामिल है।

३.१२. इसी प्रकार, लोगों या लाशों/आँकड़ों/पुतलों और इसकी जनता के बीच कठोर अभिव्यव्यक्ति और विलाप और किसी भी प्रकार का उत्तेजक चिन्ह या विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए उपाय बनाए जाने चाहिए।

३.१३. अफवाहों को रोकने के लिए एक प्रभावकारी और सार्थक कदम उठाया जाना चाहिए। सभी समुदाय के नेताओं के साथ वार्तालाप के चैनलों को ठीक से स्थापित किया जाना चाहिए और ऐसे हर व्यक्ति के विरुद्ध कदम उठाया जाना चाहिए जो भड़काऊ भाषण द्वारा साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करे। मीडिया का उपयोग और दूसरे चैनलों का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि अफवाहों को तुरंत निष्फल किया जा सके और लोगों को जानकारी देना सुनिश्चित किया जा सके। अकसर यह देखा जाता है कि अगर कोई संकट उत्पन्न होता है तो सारा प्रशासन उसी में व्यस्त हो जाता है और इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। उचित कार्यभार केन्द्रीय जिम्मेदारी और सूचना के तौर तरीके का प्रबंधन बेहद महत्वपूर्ण है और इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

३.१४. कुछ अवसरों पर, साम्प्रदायिक हिंसा की घटना के कारण लोगों में आकस्मिक भय की प्रतिक्रिया हो सकती है, जिसमें प्रवास भी सम्भव है (और इस प्रवास के कारण सम्पत्ति को नुकसान)। ऐसी प्रतिक्रिया वाले क्षेत्रों की पहचान पहले से ही की जानी चाहिए और इसके निगरानी और रोकथाम के उपाय तैयार किये जाने चाहिए। यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में अफवाहें बहुत अधिक उड़ सकती हैं और जो बढ़ा चढ़ा कर रिपोर्ट की जाती है और इसे जिला प्रशासन द्वारा विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

३.१५. उचित कदम उठाये जाने चाहिए जिससे कि पूजा स्थलों को कोई नुकसान न पहुँच सके, *पूजा स्थलों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, १९९१* को लागू किया जाना चाहिए जिसमें धार्मिक स्थानों और परिसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए दण्ड का प्रावधान है और ऐसे अपराधों से सम्बन्धित शीघ्र मुकदमा के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का भी प्रावधान है।

३.१६. किसी भी धार्मिक स्थान का निर्माण ज़िला प्रशासन की पूर्व सहमति से और पहले से निश्चित की गई जगह पर ही किया जाना चाहिए। वर्तमान कानूनों के अंतर्गत धार्मिक स्थानों के अवैधानिक निर्माण के केसों से कठोरता पूर्वक निपटना चाहिए। जिला प्रशासन द्वारा इन निर्देशों के कार्यान्वयन को मानने में लापरवाही करने वालों को कठोरता पूर्वक देखा जाना चाहिए और दोषियों को दण्ड दिया जाना चाहिए।

३.१७. धार्मिक संस्थानों (दुरूपयोग पर रोक) अधिनियम १९८८ को इसलिए बनाया गया था ताकि धार्मिक स्थानों की पवित्रता को बनाए रखा जाए और राजनैतिक, आपराधिक, नाशकारी या साम्प्रदायिक उद्देश्यों के दुरूपयोग को रोका जा सके। अन्य बातों के साथ-साथ प्रबंधक पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वह पूजा स्थल के दुरूपयोग की घटना की सूचना को पुलिस को दे। यह कानून साथ-साथ किसी पूजा स्थल पर हथियारों और युद्ध सामग्री के संचयन की भी मनाही करता है।

३.१८. अगर कोई साम्प्रदायिक घटना घटती है, तुरंत इसके बारे में एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए, इसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए जिसमें अच्छे काम के लिए इनाम देना और सम्बन्धित जिला अधिकारी को सुस्ती दिखाने के लिए दण्ड का भी विवरण हो।

४. कर्मचारी नीति

४.१. पुलिस बल का गठन, खासकर जिनकी नियुक्ति साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में हो, उनमें उस क्षेत्र के सामाजिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि विश्वसनीयता को सुनिश्चित किया जा सके और उससे सभी वर्ग के लोगों में विश्वास पैदा हो सके।

४.२. समय-समय पर सुझाए गए निम्नलिखित उपायों को लागू किया जाना चाहिए :-

शेष पृष्ठ ३ पर....

तथ्य एवं आंकड़े

पुलिस बल में महिला आरक्षण

२०१४ के पहले जिन राज्यों में पुलिस बल में महिलाओं के लिए आराक्षण था।

१.	महाराष्ट्र	३०%	१९७१ से
२.	राजस्थान	३०%	१९८९ से
३.	ओडिशा	१/३	२३ दिसम्बर से १९९२
४.	कोलकाता	१०%	१७ अगस्त २०१२ से
५.	बिहार	३५%	२०१३ से
६.	सिक्किम	३०%	२०१३ से

जून २०१४ में मोदी सरकार द्वारा देश के सभी मेट्रो सिटिज़ में पुलिस में ३३% महिलाओं को आरक्षण देने की योजना और उसके बाद राज्यों द्वारा आरक्षण की घोषणा।

१.	गुजरात	३३%	जून २०१४ से
२.	मध्य प्रदेश	३०%	अगस्त २०१४ से
३.	असम	५०%	जून २०१४ से
४.	कर्नाटक	३०%	
५.	झारखंड	३३%	अक्टूबर २०१४ से

सौजन्य : विभिन्न समाचारपत्र रिपोर्ट

क्या आप जानते हैं?

लोक पुलिस के "पुलिस और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ पुलिस व्यवहार" के विषय के अनुरूप इस खंड में हम संयुक्त राष्ट्र के ओ.एच.सी.एच.आर. के शोध विभाग से अगस्त २०१३ में प्रकाशित *"पुलिसिंग में अल्पसंख्यकों की भागीदारी: सामुदायिक पुलिसिंग एक अच्छा प्रचलन"* को प्रस्तुत कर रहे हैं।

नोट : पिछले अंक में POCSO Act की धारा ३६ के अंतर्गत डॉक्टरों की भूमिका से संबंधित दिशा निर्देशों के मसौदे के शेष भाग को अगले अंक में प्रकाशित किया जाएगा।

पुलिसिंग में अल्पसंख्यकों की भागीदारी : सामुदायिक पुलिसिंग एक अच्छा प्रचलन

"अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को भी प्रभावपूर्ण रूप से सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एंव सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का अधिकार है।" *राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक, और भाषा संबंधी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की उद्घोषणा। अनुच्छेद २।*

अल्पसंख्यकों को पुलिसिंग में क्यों भाग लेना चाहिए?

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अल्पयंख्यकों की भागीदारी वास्तव में एक सम्मिलित समाज के विकास के लिए आवश्यक है। प्रभावपूर्ण भागीदारी के द्वारा ही कोई व्यक्ति जो राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक, और भाषा संबंधी अल्पसंख्यक अपने पहचान को बतलाता है या उसकी सुरक्षा करता है।

पुलिस एजेंसी में आमतौर पर समाज के प्रभावकारी समुदाय के अधिकारी होते हैं। कई देशों में महिलाएं और विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं की पुलिस सेवा बहुत सीमित पहुँच होती है। पुलिस के गठन में समरूपता का परिणाम हमेशा अल्पसंख्यकों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है। कुछ देशों में पुलिस राष्ट्र या सत्ताधारी राजनैतिक पार्टी के संरक्षक के रूप में काम करती है न कि समुदाय के सेवक के तौर पर। समाज में अल्पसंख्यकों की भागीदारी पर पाबंदी के परिणाम स्वरूप पुलिस और अल्पसंख्यकों के बीच अलगाव और सहयोग के संबंध के बजाय विरोधात्मक सम्बंध उत्पन्न होगा। इस दबाव के कारण अंतर सामुदयिक तनाव बढ़ सकता है और वह आगे बढ़कर झगड़े में परिवर्तित हो सकता है।

अल्पसंख्यकों की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक जीवन में भागीदारी में सुधार लाने के उपायों के लिए उस देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ को ध्यान में रखना होगा। विभिन्न देशों और उनकी परिस्थितियों में अंतर होने के बावजूद कुछ प्रचलन या पहल जो इस संदर्भ में कारगर हो सकते हैं उसे चिन्हित किया जा सकता है।

अनुभवों से पता लगता है कि पुलिस में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व से पुलिसिंग के कहीं अच्छे परिणाम मिले हैं।

पुलिस में अल्पसंख्यकों की भागीदारी : कैसे?

अल्पसंख्यकों के आपराधिक न्याय प्रणाली में अत्यधिक पीड़ित होने और अभियुक्त के रूप में प्रतिनिधित्व को न्यायकरण में उनकी भागीदारी से बाधा हटाकर कम किया जा सकता है।

न्यायकरण में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुधारने के लिए जिसमे कानून प्रवर्तन एजेंसियां जैसे कि पुलिस भी सम्मिलित है, ओ.एच.सी.एच.आर. ने पुलिस और अलपसंख्यक समुदाय में अच्छी/प्रभावपूर्ण पुलिसिंग के ऐसे अनुभवों को एकत्रित करने के लिए जो कारगर हैं और जिसे प्रतिनिधित्व और भागीदारी में सुधार के लिए दूसरे स्थान पर दोहराया जा सकता है, मंत्रणाओं की एक श्रृंखला प्रारम्भ की थी।

ओ.सी.एच.आर. ने उन प्रचलनों को एकत्रित किया :

(I) विशिष्ट परिस्थितियों में काम करते हैं, (ii) जिसके परिणामस्वरूप अल्पसंख्यकों के बेहतर संरक्षण, (iii) और पुलिस का काम बढ़ाती है।

मंत्रणा से यह पता लगा कि पुलिस की रणनीति अल्पसंख्यकों को सम्मिलित करने और कुल मिलाकर सरकार की अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करने की नीति का भाग होना चाहिए। दूसरे क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों से संबंधित परस्पर विरोधी नीतियों के मद्देनज़र पुलिस और अल्पसंख्यकों के प्रति 'छिट–पुट' उपागमों के प्रभावकारी न होने की सम्भावना है। इसलिए, स्पष्ट और व्यापक अल्पसंख्यक नीतियों के लिए अर्थपूर्ण मंत्रणा की आवश्यकता है जो अल्पसंख्यकों की परिस्थितियों और उनकी विशिष्ट ज़रूरतों को संबोधन करने और पुलिस सेवा में उन्हें समान और पूर्ण पहुंच प्रदान करने के लिए डिज़ाईन किया जाए।

आखिरकार, पुलिसिंग के सभी आधुनिक, अच्छे मॉडल पुलिस के सेवा अभिविन्यस्त पद्धति पर आधारित हैं जिसमें समाज के सभी समूहों से, जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, संवाद और मंत्रणा की आवश्यकता होती है। इसलिए, यह सबसे अधिक आवश्यक है कि पुलिस एजेंसियां अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतने के लिए उन तक कदम बढ़ायें।

अल्पसंख्यकों से स्वंय उनके क्षेत्र में पुलिसिंग में भागीदारी

'सामुदायिक पुलिसिंग' या 'समुदाय के साथ पुलिसिंग' या 'नज़दीकी पुलिसिंग' की अवधारणा को कई अलग–अलग ढंग से समझा जा सकता है, जो पुलिस और समुदाय के बीच अप्रतिबद्ध फुटबॉल मैच के आयोजन से लेकर पुलिस और समुदाय के बीच पूरी तरह से प्रगतिशील भागीदारी हो सकती है।

समुदाय के भीतर अपराधिता के मुख्य कारण को संबोधित करने और कानून प्रवर्तन और अल्पसंख्यक समुदाय के मध्य संबंध सुधारने में सामुदायिक पुलिसिंग बेहद लाभप्रद हो सकता है।

व्यवहारिक तौर पर 'सामुदायिक पुलिसिंग' समुदाय और पुलिस दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण है : पुलिस के लिए इसलिए क्योंकि यह समुदाय को यह कहने का अवसर देता है कि वह किस प्रकार की पुलिसिंग चाहते हैं; समुदाय के लिए एक चुनौती है क्योंकि अपराधों से निपटना, कानून – व्यवस्था और सुरक्षा कायम रखना पुलिस सेवा का काम है आम नागरिक का नहीं। सामुदायकि पुलिसिंग में कम से कम दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं :

सघन भागीदारी जिसे इस मकसद से स्थापित किया गया है कि जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस और समुदाय के बीच संयुक्त ज़िम्मेदारियों को बांटा जाएगा।

दूसरा, समस्या के निदान की दृष्टिकोण, उदाहरण के तौर पर जिसमें शामिल हो सकता है एक निश्चित अपराध के कारणों को पहचानना और उसे संबोधित करना।

समुदाय के भीतर अपराधिता के मुख्य कारण को संबोधित कर, पुलिस अपराधों को रोकने में अधिक प्रभावकारी हो जाती है।

सामुदायिक पुलिसिंग : अच्छे प्रचलन

सामुदायिक पुलिसिंग से अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ पहचाने के अतिरिक्त इसे सार्वजनिक रूप से और मज़बूती से राष्ट्रीय राजनैतिक और पुलिस नेतृत्व द्वारा सहयोग प्राप्त होना चाहिए।

अल्पसंख्यक समुदाय से भर्ती किये गये सामुदायिक पुलिस अधिकारी को ऐसे समुदाय में प्रायः आम पुलिस अधिकारी से अधिक विश्वास से देखा जाता है विशेषकर तब जब वह उचित रूप से प्रशिक्षित तथा बगैर हथियार के हों।

अच्छे पुलिसिंग प्रचलनों में शामिल है कि सामुदायिक पुलिस अधिकारी अल्पसंख्यक समुदाय में शिकायतों को आगे बढ़ाने के लिए नियमित रूप से सार्वजनिक चर्चा करें। शिकायतों को संबोधित करने के लिए उठाये गये कदम के बारे में फीडबैक उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिसमें यदि शिकायत को प्रभावपूर्ण रूप से संबोधित नहीं किया जा सका है तो उसके लिए पक्ष समर्थन भी शामिल है।

यह महत्वपूर्ण है कि पुलिस–समुदाय की भागीदारी में अल्पसंख्यक महिलाएं भी शामिल हों। मिश्रित पेट्रोलिंग टीम जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय से उनकी भाषा में वार्तालाप करने वाली महिला को शामिल करना महत्वपूर्ण है।

समुदाय में अधिकारियों की नियमित रूप से अदला बदली ज़रूरी है, ताकि भ्रष्टाचार से बचा जा सके या ऐसे मज़बूत समुदायिक संबंधों का सामना करने के लिए जो अल्पसंख्यक समुदाय से व्यक्तिगत अधिकारियों की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है।

– प्रस्तुतिः ज़ीनत मलिक

आपके विचार

महोदया नमस्कार,

लोक पुलिस पत्रिका का अप्रैल अंक प्राप्त हुआ और पुलिस मुठभेड़ों पर यह विशेष अंक, लेखों के समावेश के दृष्टिकोण से अत्यंत सराहनीय है। मेरे अनुसार 'क्या आप जानते हैं?' खंड के अंतर्गत तेलंगाना के पुलिस रेगुलेशन के अलावा पुलिस मुठभेड़ों से संबंधित अन्य नियम और दिशा–निर्देशों का एक ही स्थान पर प्रस्तुतिकरण सभी पुलिसकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी उपयोगी है।

लेकिन, पुलिस मुठभेड़ों में अपराधियों का मारा जाना स्वाभाविक होता है यदि पुलिस की योजना उनकी जानकारी के बगैर उन्हें पकड़ने की हो। ऐसे में उनके पास तत्काल उपलब्ध हथियारों से वह पुलिस पर हमला कर भागने का प्रयत्न करते हैं और पुलिस को उन पर फायर करना पड़ता है। ऐसे में उनके दल के सदस्यों की मृत्यु हो जाए और पुलिस जोकि पहले से इस हमले के तैयार होकर आती है, वह अपना बचाव करने में सफल हो जाती है। अधिकांशतः इसी कारण मीडिया और आमजन में यह छवि बन जाती है कि पुलिस ने जान बूझकर ओरोपियों को मार गिराया जबकि यदि पुलिस ने अपने बचाव में गोली नहीं चलाई होती तो आरोपियों के स्थान वह स्वंय मृत होते। साक्षात्कार के अंतर्गत मैं श्री आशीष गुप्ता जी के इस विचार से भी सहमत हूँ, कि क्योंकि पुलिस हमले करते समय अपना बचाव करने में बेहतर तरीके से प्रशिक्षित होती है इसी कारण उन्हें गंभीर चोट लगने या उनकी मृत्यु होने की सम्भावना कम होती है।

हालांकि, तेलंगाना मुठभेड़ों को मैं उचित मानता हूँ, इसका यह अर्थ कतई नहीं है।

धन्यवाद सहित
इंस्पेक्टर (अज्ञात)
इंदौर, मध्य प्रदेश पुलिस

हम, ***लोक पुलिस*** के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, ***लोक पुलिस*** में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

पृष्ठ २ का शेष ....

(क) साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाना चाहिए।

(ख) संयुक्त बटालियन का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें सभी समुदायों जैसे कि अनुसुचित जाति व जनजाति के सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिनका उपयोग संवेदनशील क्षेत्रों में साम्प्रदायिक शांति और मित्रता स्थापित करने के लिए किया जा सके।

(ग) पुलिस बल के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा इसलिए की जानी चाहिए ताकि उनमें धर्म–निरपेक्षता और साम्प्रदायिक अनुरूपता के रुझान को अंतर्निविष्ठ किया जा सके, और राज्य पुलिस बल के सदस्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण/अनुकूलन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।

(घ) सिविल प्रशासन और सेना के बीच भी सरल कार्य पद्धति को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

४.३. चिकित्सीय सहायता टीम का गठन जहां तक सम्भव हो इस प्रकार किया जाना चाहिए कि इसमें सभी समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व हो। इस टीम को न केवल तकनीकी रूप से निपुण होना चाहिए बल्कि उनमें पीड़ितों के लिए सच्चाई और समानुभूति के गुण भी होने चाहिए।

४.४. साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील और दंगा प्रवृत्त क्षेत्रों में, पुलिस और प्रशासन के उन अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए जिनमें सिद्ध ईमानदारी, कुशलता, निष्पक्षता तथा पक्षपात रहित नज़रिया हो।

४.५. प्रत्येक जन सेवक द्वारा उसके कानूनी अधिकारों का उपयोग साम्प्रदायिक दंगों को रोकने, साम्प्रदायिक हिंसा पीडितों को सुरक्षा प्रदान करने या कराने में कठोरता से निष्पक्षता का पालन करना चाहिए, और इसमें किसी भी प्रकार के गलत कार्य या भूल के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। जिला प्रशासन द्वारा साम्प्रदायिक गड़बड़ी को दूर करने के लिए दी गई सेवाओं के लिए उचित मान्यता दी जानी चाहिए।

५. वी.आई.पी./उच्च पदाधिकारियों द्वारा वीक्षण

५.१. साम्प्रदायिक गड़बड़ी के दौरान, जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए कई वी.आई.पी./राजनैतिक उच्च पदाधिकारियों द्वारा इन क्षेत्रों का वीक्षण किया जाता है। ऐसे में वांछित है कि सभी के द्वारा आवश्यक सावधानी बरती जाए ताकि स्थानीय प्रशासन द्वारा कानून–व्यवस्था कायम रखने के उपायों और सहायता ऑपरेशनों आदि को योजना के अनुसार पूरा किया जाना सुनिश्चित हो सके।

६. हितकारों की सहभागिता

६.१. साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में, अगर परिस्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है और हिंसा या आगजनी की घटना होती है तो छोटे दुकानदार, व्यापारी और दैनिक मज़दूरों को जान व माल का सबसे अधिक नुकसान होने का खतरा होता है। सम्पत्ति के नुकसान के कारण जिसमें अधिकतर का कोई बीमा भी नहीं होता, उनके द्वारा आर्थिक बोझ के भार को झेलनी की सम्भावना सबसे अधिक होती है। इसलिए ऐसे लोग उस क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए सबसे इच्छुक सहभागी हो सकते हैं। इसी प्रकार, महिलाएं जोकि ऐसी परिस्थिति में बुरी तरह पीड़ित होती हैं, वे भी साम्प्रदायिक सौहार्द कायम करने की इच्छुक हो सकती हैं। जिला प्रशासन इन लोगों की शक्तियों और संसाधनों को शांति सुनिश्चित करने के लिए उपयोग कर सकती है।

६.२. देश में ऐसे कई स्वयंसेवी संगठन हैं जो शांति, राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसे संगठनों के पास अभिप्रेरित और अच्छी नियत वाले स्वंयसेवक और कर्मचारी होते हैं। ज़िला प्रशासन के पास ऐसे संगठनों का उचित डाटाबेस होना चाहिए और इनसे सहायता लेना चाहिए और साम्प्रदायिक सौहार्द फैलाने और साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न होने पर उसे कम करने की उनकी कोशिशों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

६.३. उपरोक्त के बावजूद, संगठनों को शामिल करने का मुद्दा खासकर सहायता पहुंचाने के काम में अकसर कलह का कारण और विवादास्पद रहा है। इसलिए इनके सहयोग के बारे में एक स्टैंर्डड ऑपरेटिंग सिस्टम (एस.ओ.पी.) तैयार किया जाना चाहिए।

७. प्रेस/मीडिया और जागरूकता फैलाना

७.१. साम्प्रदायिक सौहार्द और शांति के मुद्दे को बढ़ावा देना प्रशासन का एक निरंतर प्रयास होना चाहिए। इसके लिए समय–समय पर एक मल्टी मीडिया प्रचार और प्रसार मुहिम के बनाए जाने की आवश्यकता है।

७.२. साम्प्रदायिक सौहार्द की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए "उन्हें युवा पकड़ें" का सिद्धांत अपनाना चाहिए। सरकारी और प्राईवेट स्कूल के छात्रों में प्रेरक साहित्य बाँटना चाहिए, और उन्हें साम्प्रदायिक सौहार्द के मुद्दे पर बातचीत और प्रतिस्पर्धा का आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेशनल सर्विस स्कीम के स्वंयसेवकों के इसमें शामिल किये जाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

७.३. अगर कोई साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न होता है तब, मीडिया के लोगों के साथ जिम्मेदारी के स्तर पर संपर्क स्थापित किया जाना चाहिए। इसका मकसद है मीडिया को सच्चाई से अवगत कराना ताकि वह काल्पनिक रिपोर्ट न प्रकाशित करें जिससे कि अफवाहों को हवा मिले और समुदाय के भावनाओं को ठेस पहुंचे। अकसर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किसी एक घटना की तस्वीर लगातार दिखाई जाती है जिससे कि उस घटना के बारे में भ्रामक धारणा उत्पन्न होती है और इससे गुस्सा और उत्तेजना भड़कने की सम्भावना होती है। इस संदर्भ में मीडिया से नियमित विवरण और निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

– प्रस्तुतिः ज़ीनत मलिक

पुलिस समाचार - हर कोने की हलचल

पुलिस बल में नियुक्तियों में महिलाओं को आरक्षण

पिछले कुछ दिनों में, कई राज्यों ने अचानक ही महिलाओं को स्थानीय पुलिस बल में आरक्षण देने की घोषणा की है। हालांकि, २०१४ के पहले भी कुछ स्थानों में महिलाओं को पुलिस बल में आरक्षण दिया गया था जैसे :– महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, कोलकाता, बिहार और सिक्किम। इसके बाद, नई सरकार द्वारा पुलिस में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बेहतर करने के लिए सभी राज्यों को एक ऐडवाज़री जारी करके राज्यों को बल में ३३ प्रतिशत आरक्षण देने को कहा गया था।

२०१४ के बाद गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, असम और कर्नाटक में भी ३० प्रतिशत या उससे अधिक आरक्षण की घोषणा की गई थी।

मध्य प्रदेश में हाल ही में ३० प्रतिशत आरक्षण से बढ़ाकर महलाओं की बल में नियुक्ति को ३३ प्रतिशत करने की बात कही गई थी लेकिन इस प्रस्ताव पर स्वंय विभाग को ही आपत्ती है। इसके अलावा पांडिचेरी में महिलाओं को बल आरक्षण देने की घोषणा की गई है। उत्तराखण्ड सरकार ने भी मई २०१५ में बल में ३० प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की थी। हरियाणा में यह आरक्षण १० प्रतिशत है।

महिलाओं को बल में आरक्षण देना केन्द्र सरकार की विशेष रुचि या ऐडवाज़री के कारण हो या किसी अन्य कारण से, यह समूचे पुलिस बल के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही, इससे राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस प्रतिनिधित्व बेहतर होगा। इसकी सिफ़ारिश पुलिस सुधार के विभिन्न पणधारियों द्वारा लंबे समय से की जा रही थी। लेकिन, असली परीक्षण सरकारों द्वारा घोषणाओं के कार्यान्वयन पर निर्भर करता है कि यह सारे वादे केवल घोषणाओं और काग़ज़ों तक सीमित न रहें बल्कि वास्तव में देश भर में महिलाओं की उपस्थिति दर्ज की जाने योग्य बन सके।

(सौजन्य: समाचार प्लस डॉट कॉम, २ मई २०१५ एंव अन्य समाचार रिपोर्ट)

पूर्ण महिला थाना या वन स्टॉप क्राईसिस सेंटर

पंचकुला में शीघ्र ही एक महिला पुलिस थाना बनाया जाएगा जिसमें न केवल महिला पुलिस कंट्रोल रूम होगा बल्कि इसमें एक महिला पी.सी.आर. वैन भी होगी। थाना महिलाओं को छेड़खानी करने वालों और यौन उत्पीड़कों से निपटने के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण टिप्स भी प्रदान करेगा।

परेशानी में घिरी कोई भी महिला इसका उपयोग कर सकेगी। पुलिस कमिश्नर श्री ओ.पी. सिंह के अनुसार "पश्चिमी देशों की तरह इस थाने में 'वन स्टॉप क्राईसिस सेंटर' भी होगा। इस थाने में ४० महिला पुलिसकर्मी मौजूद होंगी। यह सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जहां महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए एक ही छत के नीचे प्रारम्भ से अंत तक निरोधक, जांच संबंधी और पुनर्वास का इंतजाम होगा।"

यह थाना, ज़िले में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के केसों को देखेगा जो कामुकतापूर्ण छेड़छाड़ या शारीरिक दुराचार का शिकार हुई हों उनको परामर्श देगा और उनका पुनर्वास करेगा। महिलाओं से लैस यह थाना पश्चिमी देशों में प्रचलित एक ऐसा थाना होगा जहां प्रताड़ना की शिकार महिला केवल अपराध की शिकायत ही नहीं दर्ज करा सकती बल्कि उसे वहां से उपचार भी प्राप्त होगा। यह निर्णय महिलाओं द्वारा पुरुष पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में ऐसे मामलों के बारे में बातचीत करने में होने वाले संकोच को देखते हुए लिया गया है।

Tribune Photo: Nitin Mittal

पूर्ण महिला थाना - संपूर्ण सहायता!

महिला थाने का भवन सेक्टर ६ में तैयार हो रहा है और अगस्त २०१५ में इसका उद्घाटन होना है। इस थाने में दहेज, छेड़खानी, यौन उत्पीड़न के केस दर्ज किये जाएंगे। हरियाणा सरकार ने महलाओं की सुरक्षा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए यह एक अच्छा उपाय निकाला है। आशा है, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की शिकायत दर्ज कराने की संख्या में बढ़ोतरी होगी। राज्य के सभी ज़िलों में कम से कम एक पूर्ण महिला थाने का निर्माण और अच्छे परिणाम लाएगा। इसे दूसरे राज्यों द्वारा भी अपनाया जाना चाहिए।

(सौजन्य: ट्रिब्यून इंडिया डॉट कॉम, ७ जून २०१५)

भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो की ४० प्रतिशत इंक्वायरी दिल्ली पुलिस के विरुद्ध

दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा के बीच तनाव और बढ़ सकता है क्योंकि ए.सी.बी. द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध शुरू की गई इंक्वायरी में ४० प्रतिशत मामले दिल्ली पुलिस के ही विरुद्ध हैं। यह शाखा ४०० केसों में इंक्वायरी कर रही है जिसमें से १५० पुलिस के विरुद्ध हैं। इसमें पुलिस विभाग की ओर से रोक की सम्भावना पहले ही है।

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की ए.सी.बी. में नियुक्ति करने को लेकर पहले ही एल.जी. और मुख्य मंत्री के बीच झड़प हो चुकी है। वर्तमान में ए.सी.बी. ११० स्वीकृत पदों के विरुद्ध केवल १७५ अधिकारियों के साथ काम कर रही है। यह पता लगा है कि ए.सी.बी. के प्रमुख एस.एस. यादव ने शीघ्र ही और अधिक जनबल की मांग की है। जहां ए.सी.बी. ८ ए.सी.पी., १७ सब–इंस्पेक्टर और ६ इंस्पेक्टरों की भर्ती के लिए संघर्ष कर रहा है वहीं राज्य सरकार इसके जनबल को बढ़ाकर ३०० करने वाली है। ए.सी.बी. ने दिल्ली पुलिस के ७ अधिकारियों को नाम भेजे थे और यह भी कहा कि यह वे अधिकारी थे जो ए.सी.बी. में काम करना चाहते हैं और उन अधिकारियों की मांग करना जो इसके लिए काम करना चाहते हैं यह एक बेहद पारदर्शी प्रथा है और सी.बी.आई. तथा नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी इसकी पालना करती हैं। ए.सी.बी. के अनुसार इसने २४ अप्रैल को नामजद अधिकारियों की मांग की थी जबकि यदि विभाग चाहता तो कोई अन्य अधिकारी नियुक्त कर सकता था। ए.सी.बी. इसकी क्रियात्मक स्वायत्ता को एक भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी के रूप में कायम रखना चाहती है और इस चिंता से इसने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी अवगत कराया है कि अधिकारी विभाग और राज्य सरकार के बीच चल रहे मनमुटाव में बलि का बकरा न बन जाएं।

ए.सी.बी. ने कहा कि वह भारत सरकार और दिल्ली सरकार की सभी विधिक अधिसूचनाओं और निर्देशों का पालन करेगा हालांकि, केन्द्र सरकार गृह मंत्रालय द्वारा २१ मई २०१५ को जारी एक अधिसूचना को पकड़ कर यह कह रहा है कि ए.सी.बी. को केन्द्र सरकार और दिल्ली पुलिस के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है।

इसके बावजूद ए.सी.बी. ने अपनी जांच जारी रखी है और इसके लिए उसे उच्च न्यायालय द्वारा मई में भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ़्तार एक कांस्टेबल की ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी।

भ्रष्टाचार विरोधी इस एजेंसी को क्रियात्मक स्वायत्ता अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए ताकि वह बगैर किसी भेदभाव के सभी के विरुद्ध और अगर ४० प्रतिशत पुलिसकर्मियों के विरुद्ध भी शिकायत है तो निष्पक्षता से जांच कर सके। शायद इससे पुलिस एंव अन्य एजेंसियों में भ्रष्टाचार थोड़ा कम हो सके।

(सौजन्य: टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, ७ जून २०१५)

६ लाख महिला स्पेशल पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति

महिलाओं को सशक्त बनाने और जेंडर अपराधों को रोकने की कोशिश में, सरकार शीघ्र ही २१ वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को देश भर के ६ लाख गांवों में स्पेशल पुलिस अफ़सर (एस.आ.पी.) के रूप में नियुक्त करेगी। यह एस.पी.ओ. स्वंयसेवी होंगी अर्थात् इन्हें कोई मुआवज़ा या वेतन नहीं दिया जाएगा। हालांकि, अगर वे चाहें तो सरकार उन्हें मानदेय दे सकती है। पुलिस अधिनियम में एस.पी.ओ. की नियुक्ति का प्रावधान है।

महिला एंव बाल विकास मंत्रालय के महिला एस.पी.ओ. की नियुक्ति के प्रस्ताव को गृह मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति दे दी है। यह महिलाएं जेंडर संबंधी अपराधों से लड़ने में समुदाय और पुलिस के बीच एक लिंक का काम करेंगी। महिला एंव बाल विकास मंत्री श्रीमति मेनका गांधी ने कहा कि, "गृह मंत्रालय के साथ हमने एस.पी.ओ. की नियुक्ति के लिए प्रोटोकॉल भी तैयार किया है। इसे शीघ्र ही अधिसूचित किया जाएगा।"

एस.पी.ओ., राज्य पुलिस द्वारा नियुक्त साधारण नागरिक होंगी जो उन्हें सामुदायिक पुलिसिंग में मदद करेंगी। इन्हें अधिकतर ज़्यादा मुश्किल काम नहीं दिया जाएगा। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार कोई भी २१ वर्ष की महिला जो १२वीं कक्षा में सफ़ल हो, एस.पी.ओ. की नियुक्ति के लिए आवेदन करने के योग्य होगी।

उन्हें एस.पी. के द्वारा नियुक्त किया जाएगा और स्थानीय पुलिस द्वारा जेंडर संबंधी अपराधों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। उनका काम होगा कि अगर महिलाओं के विरूद्ध होने वाले किसी भी अपराध की जानकारी उन्हें हो तो वह स्थानीय थाने को संपर्क करें। प्रत्येक एस.पी.ओ. को एक बैज और एक पहचान पत्र दिया जाएगा।

प्रारम्भ में मंत्रालय की योजना है कि वह सभी ६ लाख गांवों में एक एस.पी.ओ. की नियुक्ति करे। बाद में, फीडबैक के अनुसार इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जा सकती है।

जेंडर संबंधी केसों में कमी लाने की कोशिश में महिलाओं को अप्रशिक्षित और अपरिवक्व महिलाओं द्वारा केस प्रबंधन से लाभ के बजाय हानि अधिक हो सकती है। आवश्यकता यह है कि पुलिस स्वंय समुदाय से सीधा संपर्क कायम करे और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की उतनी ही गंभीरता से जांच करे जैसे किसी दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री की फर्जी डिग्री की ख़बर जनता में फैलने पर कर्तव्यबद्धता से जांच में जुटी है।

(सौजन्य: हिन्दुस्तान टाईम्स डॉट कॉम, २३ जून २०१५)

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान संपादक : ज़ीनत मलिक, ५५ ए, तीसरी मंज़िल, सिद्धार्थ चैम्बर्स, कालू सराय, नई दिल्ली–११००१६, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००ए फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८, वेबसाईट: http//www.humanrightsinitiative.org